"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2013—अग्रहायण 8, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या ECI/PN/43/2013 दिनांक 4-10-2013 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु विधानसभा आम चुनाव-2013 के कार्यक्रम संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राज्य में 02 चरणों में मतदान सम्पन्न कराया जाएगा. प्रथम चरण में संलग्न परिशिष्ट-I में उल्लेखित कुल 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 11 नवम्बर, 2013, दिन सोमवार को तथा द्वितीय चरण में संलग्न परिशिष्ट-II में उल्लेखित कुल 72 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 19 नवम्बर, 2013, दिन मंगलवार को मतदान संपन्न होगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा आम चुनाव-2013 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान हेतु नियत तिथि को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Annexure-I

List of 18 Assembly Constituencies going to poll in Phase I in Chhattisgarh.

AC No.	Name of AC	Type	District
73	Khairagarh	GEN	Rajnandgaon
74	Dongargarh	SC	Rajnandgaon
75	Rajnandgaon	GEN	Rajnandgaon
76	Dongargaon	GEN	Rajnandgaon
77	Khujji	GEN	Rajnandgaon
78	Mohla-Manpur	ST	Rajnandgaon
79	Antagarh	ST	Uttar Bastar Kanker
80	Bhanupratappur	ST	Uttar Bastar Kanker
81	Kanker	ST	Uttar Bastar Kanker
82	Keshkal	ST	Kondagaon
83	Kondagaon	ST	Kondagaon
84	Narayanpur	ST	Kondagaon
85	Bastar	ST	Bastar (Jagdalpur)
86	Jagdalpur	GEN	Bastar (Jagdalpur)
87	Chitrakot	ST	Bastar (Jagdalpur)
88	Dantewada	ST	Dakshin Bastar Dantewada
89	Bijapur	ST	Bijapur
90	Konta	ST	Sukuma

Annexure-II

List of 72 Assembly Constituencies going to poll in Phase II in Chhattisgarh.

AC No. (1)	Name of AC (2)	Type (3)	District (4)
1	Bharatpur-Sonhat	ST	Koria
2	Manendragarh	GEN	Koria
3	Baikunthpur	GEN	Koria
4	Premnagar	GEN	Surajpur
5	Bhatgaon	GEN	Surajpur
6	Pratappur	ST	Surajpur
7	Ramanujganj	ST	Balrampur
8	Samri	ST	Balrampur
9	Lundra	ST	Surguja
10	Ambikapur	GEN	Surguja
11	Sitapur	ST	Surguja
12	Jashpur	ST	Jashpur
13	Kunkuri	ST	Jashpur
14	Pathalgaon	ST	Jashpur
15	Lailunga	ST	Raigarh
16	Raigarh	GEN	Raigarh
17	Sarangarh	SC	Raigarh
18	Kharsia	GEN	Raigarh
19	Dharamjaigarh	ST	Raigarh
20	Rampur	ST	Korba

(1)	(2)	(3)	(4)
21	Korba	GEN	Korba
22	Katghora	GEN	Korba
23	Pali-Tanakhar	ST	Korba
24	Marwahi	ST	Bilaspur
25	Kota	GEN	Bilaspur
26	Lormi	GEN	Mungeli
27	Mungeli	SC	Mungeli
28	Takhatpur	GEN	Bilaspur
29	Bilha	GEN	Bilaspur
30	Bilaspur	GEN	Bilaspur
31	Beltara	GEN	Bilaspur
32	Masturi	SC	Bilaspur
33	Akaltara	GEN	Janjgir-Champa
34	Janjgir-Champa	GEN	Janjgir-Champa
35	Sakti	GEN	Janjgir-Champa
36	Chandrapur	GEN	Janjgir-Champa
37	Jaijaipur	GEN	Janjgir-Champa
38	Pamgarh	SC	Janjgir-Champa
39	Saraipali	SC	Mahasamund
40	Basna	GEN	Mahasamund
41	Khallari	GEN	Mahasamund
42	Mahasamund	GEN	Mahasamund
43	Bilaigarh	SC	Balodabazar
44	Kasdol	GEN	Balodabazar
45	Baloda Bazar	GEN	Balodabazar
46	Bhatapara	GEN	Balodabazar
47	Dharsiwa	GEN	Raipur
48	Raipur Rural	GEN	Raipur
49	Raipur City West	GEN	Raipur
50	Raipur City North	GEN	Raipur
51	Raipur City South	GEN	Raipur
52	Arang	SC	Raipur
53	Abhanpur	GEN	Raipur
54	Rajim	GEN	Gariaband
55	Bindranawagarh	ST	Gariaband
56	Sihawa	ST	Dhamtari
57	Kurud	GEN	Dhamtari
58	Dhamtari	GEN	Dhamtari
59	Sanjari Balod	GEN	Balod
60	Dondi Lohara	ST	Balod
61	Gunderdehi	GEN	Balod
62	Patan	GEN	Durg
63	Durg-Rural	GEN	Durg
64	Durg City	GEN	Durg
65	Bhilai Nagar	GEN	Durg
66	Vaishali Nagar	GEN	Durg
67	Ahiwara	SC	Durg
68	Saja	GEN	Durg
69	Bemetara	GEN	Bemetara
70	Nawagarh	SC	Bemetara
71	Pandariya	GEN	Kabirdham
72	Kawardha	GEN	Kabirdham

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 2-18/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एस. बजाज (भा. व. से.), संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग (NRDA संबंधित कार्य के लिए), घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-3/2013/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2-10/2006/1/6, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा बनाये गए "छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007" के नियम-4 को विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्रमांक 1090/687/अव./2013/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 15-10-2013 से 18-10-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 19, 20-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्रमांक 1092/765/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ऋषभ कुमार पाराशर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 28-10-2013 से 06-11-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार पाराशर आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाराशर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्रमांक 1094/689/अव./2013/1-8/स्था.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 05-10-2013 से

18-10-2013 तक 14 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्रमांक 1096/763/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 05-11-2013 से 08-11-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03, 04, 09, 10-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2013

क्रमांक 1098/686/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 15-10-2013 से 18-10-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 19, 20-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. सिद्दिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्रमांक 1102/3124/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 07-10-2013 से 26-10-2013 तक 20 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 06, 27-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्रमांक 1104/733/अव./2013/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 02-11-2013 से 21-11-2013 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्रमांक 1106/723/अव./2013/1-8/स्था.—श्री संतोष कुमार पवार, स्टॉफ ऑफिसर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री को दिनांक 31-10-2013 से 08-11-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवार आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पवार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्रमांक 1108/778/अव./2013/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 02-11-2013 से 08-11-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्रमांक 1110/692/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. एन. नामदेव, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 05-10-2013 से 11-10-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नामदेव आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नामदेव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नामदेव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-12-2010 द्वारा श्री देवजी भाई पटेल, फाफाडीह, रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया था.

2. श्री देवजी भाई पटेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 28-10-2013 को राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 28-10-2013 से स्वीकार करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बॉयलर क्रमांक C.G./247 को दिनांक 11-11-2013 से 30-03-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/391/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	सोनियाडीह प.ह.नं. 05	9.378	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 3/ अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	दानीकुण्डी प.ह.नं. 16	1.578	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, जिला-बिलासपुर.	बंशीताल नहर योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक 4/ अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	बंशीताल प.ह.नं. 16	0.364	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, जिला-बिलासपुर.	बंशीताल नहर योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 02 अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	परशुरामपुर	3.13 आरे	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	परशुरामपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र की छुटी हुई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 03 अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	देवीपुर	0.549	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	देवीपुर जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 04 अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	त्रिपुरेश्वरपुर	5.780	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	पिवरी जलाशय दांई तट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 23/अ-82/2010-11/प.ह.नं.-36.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-तड़ोला प. ह. नं.-36 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 2.792 हे.केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश. दिनांक 15-04-2011 तथा दिनांक 02-03-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तड़ोला

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
177/1च	0.194
कुल खसरा नं. 1	**कुल रकबा 0.194**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पीठाआमा, प.ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.586 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/2ख, 15/22	0.405
132/1ख	0.195

	(1)	(2)
	159/1ख	0.105
	233/59	0.600
	15/10क	0.242
	134/1	0.142
	159/2	0.340
	159/4	0.386
	15/10ख	0.243
	134/5छ	0.202
	159/3	0.050
	233/58	0.830
	15/24	0.648
	159/1क	0.145
	233/54	1.052
योग	15	5.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीठाआमा जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जशपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बालाझर, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	334/2ख	0.180
योग		0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालाझर जलाशय योजना की मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

रा.प्र.क्र. 01 अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-प्रतापपुर, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
950	0.39

	(1)	(2)
	952	0.16
योग	2	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांकी नदी (सेतु) पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

रा.प्र.क्र.-05 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-केशलमरा, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.476 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	349/2, 350/2, 353/4	0.161
	349/3, 350/3, 353/5	0.085
	351	0.227
	352/2	0.097
	354/2	0.040
	353/1-2	0.081
	352/1	0.186
	354/1	0.040
	355/1	0.097
	355/2	0.049
	358/1	0.093
	358/2	0.093
	359	0.227
योग		1.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्रमांक/7090/एस.सी. 1/2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के लिये निम्नलिखित तिथियों में कलेन्डर वर्ष 2014 के लिये

स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	त्यौहार का नाम	घोषित अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत)	सप्ताह का दिन	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गोविंदा उत्सव	एक	19-08-2014	श्रावण 28/1936	मंगलवार	केवल डोंगरगढ़ तहसील के लिए
2.	पोला	एक	25-08-2014	भाद्रपक्ष 3/1936	सोमवार	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
3.	गणेश विसर्जन	एक	09-09-2014	भाद्रपक्ष 18/1936	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव (डोंगरगढ़ तहसील को छोड़कर)
4.	दीपावली का दूसरा दिन	एक	24-10-2014	कार्तिक 2/1936	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव

यह अवकाश बैंक/कोषालय पर लागू नहीं होगा.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय रिटर्निंग आफिसर, 22-कटघोरा सामान्य विधान सभा क्षेत्र जिला-कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप-1

निर्वाचन की सूचना

(नियम 3 देखिये)

क्रमांक/1365/रि.आ./22-कटघोरा/वि.स.चु./2013.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(1) 22-कटघोरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन होना है.

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या 22-कटघोरा विधान सभा सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 01-11-2013 (शुक्रवार) से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वान्ह और 3.00 बजे अपरान्ह के बीच कार्यालय कलेक्टर कोरबा के कक्ष क्रमांक-23 में परिदत्त किए जा सकेंगे.

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे.

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए कार्यालय कलेक्टर कोरबा, कक्ष क्रमांक-23 में 02-11-2013 (शनिवार) को 11.00 बजे लिये जायेंगे.

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 04-11-2013 (सोमवार) को 3 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेंगी.

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 19-11-2013 (मंगलवार) को प्रात: 8.00 बजे और सायं 5.00 बजे के बीच मतदान होगा.

स्थान : कोरबा
तारीख : 25-10-2013 (शुक्रवार)

आर. एक्का
रिटर्निंग आफिसर.

Korba, the 25th October 2013

CONDUCT OF ELECTION RULES 1961

"Form 1"
(See Rule 3)

NOTICE OF ELECTION

No./1365/रि.आ./22-कटघोरा/वि.स.चु./2013.— Notice is hereby given that :—

(1) An election is to be held of a member to 22-Katghora Legislative Assembly/Constituency ;

(2) Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposers to the Returning Officer or to 22-Katghora Assistant Returning Officer, at Office of the Collector Korba, Room No. 23 between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 01-11-2013 (Friday)

(3) Forms of nomination paper may be obtained at the place and time foresaid;

(4) The nomination paper will be taken up for Scrutiny at office of the Collector Korba, Room No. 23 on 02-11-2013 (Saturday) at 11.00 AM.

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3 P. M. on the 04-11-2013 (Monday).

(6) In the event of the election being contested, the poll will be taken on 19-11-2013 (Tuesday) between the hours of 8.00 A.M. and 5.00 P.M.

Place : Korba
Date : 25-10-2013 (Friday)

R. EKKA
Returning Officer.

कार्यालय रिटर्निंग आफिसर, 23-पाली-तानाखार (एस.टी.) विधान सभा क्षेत्र जिला-कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

निर्वाचनों का संचालक नियम, 1961

प्ररूप-1

निर्वाचन की सूचना

(नियम 3 देखिये)

क्रमांक/1367/रि.आ./23-पाली-तानाखार/वि.स.चु./2013.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(1) 23-पाली-तानाखार (एस.टी.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन होना है.

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ीउपरोड़ा सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 01-11-2013 (शुक्रवार) से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न किसी दिन 11 बजे पूर्वान्ह और 3 बजे अपरान्ह के बीच कार्यालय कलेक्टर कोरबा के कक्ष क्रमांक 13 (न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा के कक्ष) में परिदत्त किये जा सकेंगे.

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे.

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए कार्यालय कलेक्टर कोरबा के कक्ष क्रमांक 13 (न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा के कक्ष) में 02-11-2013 (शनिवार) को प्रात: 11.00 बजे लिये जायेंगे.

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 04-11-2013 (सोमवार) को 3 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेंगी.

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 19-11-2013 (मंगलवार) को प्रात: 8.00 बजे और सायं 5.00 बजे के बीच मतदान होगा.

स्थान : कोरबा
तारीख : 25-10-2013 (शुक्रवार)

रवि प्रकाश गुप्ता
रिटर्निंग आफिसर.

Korba, the 25th October 2013

CONDUCT OF ELECTION RULES 1961
(Statutory Rules and Order)

"Form 1"
(See Rule 3)

NOTICE OF ELECTION

No./1367/रि.आ./23-पाली-तानाखार/वि.स.चु./2013.— Notice is hereby given that :—

(1) An election is to be held of a member to the house of the Legislative Assembly 23-Pali-Tanakhar (S.T.) Legislative Council in the Constituency ;

(2) Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposers to the Returning Officer or to Sub Divisional Officer (R) Pondiuproda Assistant Returning Officer, at Office of Collector Korba, Room No. 13 (The Court of the Additional Collector Korba) between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 01-11-2013 (Friday);

(3) Forms of nomination paper may be obtained at the place and time foresaid;

(4) The nomination paper will be taken up for Scrutiny at office of Collector Korba, Room No. 13 (The Court of the Additional Collector Korba) on 02-11-2013 (Saturday) at 11.00 AM.

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3 P.M. on the 04-11-2013 (Monday).

(6) In the event of the election being contested, the poll will be taken on 19-11-2013 (Tuesday) between the hours of 8.00 A.M. and 5.00 P.M.

Place : Korba
Date : 25-10-2013 (Friday)

RAVI PRAKASH GUPTA
Returning Officer.

कार्यालय न्यायिक जांच-आयोग

17 एवं 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेंट की घटना
छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग परिसर, पंढरी, रायपुर एवं आयुक्त कार्यालय परिसर, बस्तर संभाग, जगदलपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2013

संशोधन

क्रमांक EEC/001045/2013.— न्यायिक जांच आयोग 17 एवं 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेंट की घटना के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक 1/एस.एस.सी. कमीशन/2012 जो कि दिनांक 19-07-2013 के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"अभ्यावेदन/जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा में संशोधन करते हुए दिनांक 27 नवम्बर 2013 तक बढ़ाई जाती है."

शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

राजा विक्रम नायर,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़)

मुंगेली, दिनांक 28 अक्टूबर 2013

क्रमांक 4693/अवलि/2013.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4, दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं टी.सी.महावर,

कलेक्टर, मुंगेली वर्ष 2014 हेतु मुंगेली जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

अनुक्रमांक	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन
1.	गणेश चतुर्थी	29 अगस्त, 2014	शुक्रवार
2.	सर्व पितृमोक्ष (अमावस्या)	23 सितम्बर, 2014	मंगलवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन	24 अक्टूबर, 2014	शुक्रवार

टी. सी. महावर,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक 6367/A/वित्त-स्था.-1/2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ के अंतर्गत वर्ष 2014 के लिए जिला जशपुर हेतु निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन	रिमार्क
1.	भाई-दूज	18 मार्च 2014	मंगलवार	जशपुर जिले में
2.	अनंत चतुर्दशी	08 सितम्बर 2014	सोमवार	जशपुर जिले में
3.	गोर्वधन पूजा	24 अक्टूबर 2014	शुक्रवार	जशपुर जिले में

एल. एस. केन,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्रमांक/1075/निर्वा.पर्य./वि.स.चु./2013.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालोद (छ.ग.) विधान सभा आम चुनाव-2013 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 78/2013/EPS/दिनांक 24 अक्टूबर 2013 अनुसार जिले के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र क्र. 59-संजारी बालोद, 60-डौण्डीलोहारा (अ.ज.जा.) एवं 61-गुण्डरदेही मतदान की तिथि 19 नवम्बर, 2013 दिन मंगलवार को सामान्य अवकाश घोषित करता हूं.

अमृत कुमार खलखो,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी.